



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002-
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 011-23604404/23604140



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

By E-mail

No.F.16-1/2023 (CU)/128114

फरवरी 2025/February 2025

कुलसचिव / The Registrar

सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय / All Central Universities

संलग्न सूची अनुसार/As per list attached

10 FEB 2025

विषय: शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक स्टाफ को प्रवेश स्तर पर अग्रिम वेतन वृद्धि हेतु स्पष्टीकरण के संबंध में।

Subject:- Clarification for advance increment at entry level of academic and other academic staff- Reg

महोदय Sir/ महोदया Madam,

With reference to the subject mentioned above, I am directed to inform that the university may follow the point 8 of Ministry of Education letter dated 02.11.2017 wherein it has clearly been described "The incentive structure is built-in in the pay structure itself wherein those having M.Phil or Ph.D. degree will progress faster under CAS. Therefore, there shall be no incentives in form of advance increments for obtaining the degrees of M.Phil or Ph.D." It is, therefore, once again requested that the University may strictly follow the instructions issued by the MoE dated 02.11.2017 to avoid any audit objection. The copy of the Ministry of Education letter dated 02.11.2017 is enclosed herewith which is self-explanatory and which may also facilitate the matter.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश है कि समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.11.2017के बिंदु 8 का पालन करें जिसमें यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि "प्रोत्साहन संरचना वेतन संरचना में ही अंतर्निहित है जिसमें एम.फिल या पीएच.डी.के डिग्री धारक, सी.ए.एस. (CAS) के तहत तेजी से प्रगति कर सकेंगे। इसलिए, एम.फिल या पीएच.डी.की डिग्री प्राप्त करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि के रूप में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।" अतः, एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि विश्वविद्यालय किसी भी ऑडिट आपत्ति से बचने के लिए शिक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.11.2017 (प्रति संलग्न) में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

भवदीया /Yours faithfully

(डॉ.(श्रीमती) अंजू मोहन गलहोत्रा) / (Dr. (Mrs.) Anju Mohan Galhotra)

अवर सचिव/ Under Secretary

संलग्न Encl: उपरोक्तनुसार as above.